दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
आवास (शाखा)

बी-3, विकास कुटीर, आई. पी. स्टेट
आई.टी. ओ. नई दिल्ली-110002.

स्लम निवासियो और अन्य लोगो के लिए आवासीय फ्लैटो की पंजीकरण योजना-1985 की आवंटन के नियम एंव शर्ते ।

1. दिल्ली सरकार उपरोक्त योजना के अंर्न्तगत पंजीकृत आवेदकों को प्रारम्भ में सावदा घेवरा (नॉगलोई क्षेत्र) में जहा कि फ्लैटस तैयार है, में आवंटन करने जा रही है ।

2. इस योजना के अर्न्तगत सभी पंजीकृत उम्मीदवारो को उनकी आग्रता/प्रायरटी के अनुसार सूचना भेजी जा रही है आरम्भ में प्रथम चरण के अन्तर्गत सावदा घेवरा में फ्लैटस प्रस्तावित है। जो भी पंजीकृत आवेदक सावदा घेवरा में फ्लैट लेने के इच्छुक है, वे दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) की वेब साईट से सहमति पत्र एंव शपथ पत्र डाऊन लोड कर सकते है। सहमति पत्र पूर्णतया भरकर व उसके साथ दो पासपोर्ट साईज के फोटोग्राफ तथा 50,000 रूपये, (पचास हजार रूपये) केवल के बैंक डिमॉड ड्राफ्ट जो कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के पक्ष में देय होगा के साथ जमा कराना होगा। फ्लैट की अनुमानित लागत जिसमें भूमि की कीमत लगभग 13 लाख रूपये अनुमानित है। आंबटन का प्रस्ताव केवल नगद भुगतान के आधार पर है।

3. ऊपर वर्णित पैराग्राफ दो के अनुसार दस्तावेज जमा करने के पश्चात प्रतिक्षित उम्मीदवार को अपनी प्रमाणिकता के लिए (1) रजिस्ट्रेशन की मूल प्रति (2) बैंक चालान की मूल प्रति (जिसके द्वारा 3000 रूपये) जमा किये गये (3) नये पते का साक्ष्य (जहां जरूरत है), (4) आधार कार्ड/पहचान पत्र (जोकि सरकार द्वारा मान्य हैं)। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड कि आवास शाखा द्वारा बुलाये जाने पर प्रस्तुत करने होंगे।

4. पंजीकृत उम्मीदवार की मृत्यु की स्थिति में उनके कानूनी उत्तराधिकारी को नाम परिवर्तन हेतु निम्लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगें।
   (1) पंजीकृत उम्मीदवार का मृत्यु प्रमाणपत्र।
   (2) क्षतिपूर्ति बंध पत्र/सहमति पत्र जोकि सब रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित होना चाहिए
   (3) इन्डेमिनिटी बान्ड सब रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
   (4) शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित।
   (5) आवेदक का पहचान पत्र का प्रमाण।
   (6) आवेदक के पासपोर्ट आकार के चार फोटो और सत्यापित चार नमूना हस्ताक्षर जो कि नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित।

5. पैरा 2 में वर्णित, डिमाड ड्राफ्ट, सहमति पत्र एंव शपथ पत्र जमा होने के पश्चात दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की पात्रता का निर्धारण करेगा एंव इसके पश्चात पात्र उम्मीदवारों का ड्राँ किया जाएगा।

6. यदि आंवटन हेतू सहमति पत्र प्रथम चरण में उपलब्ध फ्लैटों से अधिक होगे तब द्वितीय चरण में आंवटन किये जाने वाले फ्लैटो का चयन बोर्ड/दिल्ली सरकार द्वारा किया जायगा फ्लैटो का

आंवटन क्रमानुसार उम्मीदवारों की पात्रता एंव दोनो प्रकार की प्राथमिकता, किराया खरीद एंव नगद भुगतान को मिलाकर केवल नगद भुगतान योजना के तहत किया जाएगा।

7. इस योजना से संबंधित कानूनी विवाद के मामलें में सभी अधिकार दिल्ली, नई दिल्ली के न्यायालय अधिकार के क्षेत्र में होंगे।

8. इस स्कीम के अन्तर्गत पूर्व में निर्धारित नियम एंव शर्ते एंव सहमति पत्र में निर्धारित नियम एंव शर्ते निर्णायक एंव बाध्यकारी हैं।

9. पंजीकृत उम्मीदवार सहमति पत्र के लिए जारी हुए पत्र के 45 दिन के अन्दर सहमति पत्र "स्लम निवासियों एंव अन्य लोगों के लिए आवासीय फ्लैटों की पंजीकरण योजना- 1985, स्लम विंग, दिल्ली विकास प्राधिकरण" के अन्तर्गत सहमति पत्र डूसिब में जमा करायेंगें। सहमति पत्र जमा न कराने की स्थति में आंवटन प्रस्ताव निरस्त हो जायेगा और मूल योजना की शर्तानुसार जमा राशि का रिफन्ड किया जायेगा।

10. इस योजना के अन्तर्गत रूपये 3.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक आय वाले उम्मीदवार फ्लैट के पात्र नहीं होगें। आय प्रमाण पत्र संबंधित राजस्व विभाग से जारी होना चाहिए।

11. सहमति पत्र के साथ निम्मलिखित दस्तावेज जमा कराने होंगे।
   (i) आय प्रमाण पत्र जोकि संबंधित राजस्व विभाग से जारी हों।
   (ii) पंजीकरण की प्रतिलिपि।
   (iii) चालान की प्रतिलिपि जिसके द्‌वारा रूपये 3000 का भुगतान किया गया है।
   (iv) आधार कार्ड की प्रतिलिपि।
   (v) वोटर कार्ड की प्रतिलिपि या पहचान का कोई अन्य दस्तावेज जो सरकार द्‌वारा निर्धारित किये गये हैं।
   (vi) वर्तमान पते का साक्ष्य यदि पूर्व में दिये गये पते में परिवर्तन हैं।
   (vii) निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र।

12. इस विषय में किसी भी तरह की अन्य जानकारी हेतु उप- निदेशक (आवास) कमरा न. बी-3, विकास कुटीर, आई., पी., स्टेट, नई दिल्ली-110002., से सम्पर्क किया जा सकता हैं।

उप-निदेशक (आवास)

DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD
GOVT. OF NCT OF DELHI
(Housing Section)
(Phone No. 01123378419)
B-3, Vikas Kuteer, I.P. Estate, New Delhi-110002

Terms and conditions for allotment of flat under the "Residential Flats Registration Scheme for Slum Dwellers and others – 1985, Slum wing, DDA"

1. Government of NCT of Delhi proposes to allot flats to the registrants of the aforementioned scheme initially at Savda Ghevra wherein ready flats are available for allotment in the first phase.

2. Letters are being issued to all the wait listed registrant mentioned as per priority list of the aforementioned "Residential Flats Registration Scheme for Slum Dwellers and others-1985-Slum Wing, Delhi Development Authority", regarding offer of allotment in the first phase at Savda Ghevra. In the case wait listed registrant is interested in allotment of flat at Savda Ghevra, he/she may download the 'Consent form' alongwith format for affidavit already available in the website- of DUSIB and file the same alongwith two copies of recent photograph (Passport size with name inscribed thereon) and a demand draft for an amount of Rs. 50,000/- drawn in favour of the DUSIB. The tentative cost of flat, including land cost, is estimated at Rs 13.00 lakh (tentative) and the offer of allotment is being made on 'Cash down basis' only.

3. After filing of the aforementioned documents etc., waitlisted Registrant will be required to establish his/her bonafide through production of the original registration slip, copy of challan through which payments was tendered, new address proof (wherever required), Aadhar card and/or ID Proof recognized by Government as and when individually called by the Housing Branch, DUSIB through a separate communication.

4. In case of death of Registrant, the legal heirs may apply for change of name to the department alongwith following documents:- **(a)** Original death certificate of registrant, **(b)** Relinquishment deed/ Consent letter duly registered by Sub Registrar Office,**(c)** Indemnity bond duly registered by Sub Registrar Office**,(d)** Affidavit duly attested by Notary, **(e)** Identity proof of beneficiary and **(f)** Recent photograph of beneficiary. After change of the name he/she has to submit the consent letter alongwith other documents as mentioned at serial no. 11.

5. After submission of documents, consent letter & affidavit, DUSIB will determine the eligibility and will conduct a computerised draw of eligible applicants only.

6. In case the response for allotment is more than the number of aforementioned flats, in that case the other places where flats are proposed to be allotted will be decided by Board/ Govt. Offer of allotment at these locations shall be made in a chronological manner as per priority number by equal consideration to both the list of "cash down" and "hire purchase" being maintained separately. Those who have applied under the hire purchase option at the time of Registration will also be considered for cash down allotment only.

7. For redressal of any dispute, in this regard the jurisdiction shall be the court of law in Delhi/New Delhi.

8. The other terms and conditions stipulated in the original scheme and as per the ‘Consent form’ shall be final and binding.

9. The registrant/applicant will submit the consent letter within 45 days of the issue of letter Seeking consent for allotment of flat under the “Residential Flats Registration Scheme for Slum Dwellers and others – 1985, Slum Wing Delhi Development Authority”, otherwise the offer will be closed and amount will be refunded as per terms & conditions of the original scheme.

10. The Registrant having income more than Rs.3.00 lakhs per annum will not be eligible for allotment of flat under this scheme. Income Certificate must be issued by Revenue Department.

11. Following documents are required to be submitted with the Consent letter:

I) Income Certificate duly issued by Revenue Department,
II) Copy of Registration Slip,
III) Copy of Challan through which payments was tendered,
IV) Copy of Aadhar Card,
V) Election Voter-ID Card or ID proof recognized by Govt,
VI) Latest address proof in case there is change in the address given at the time of original application,
VII) Affidavit on the prescribed format;

12. In the case of any difficulties, Applicant may contact the office of Dy. Director (Housing), at B-3 Vikas Kutir I.P. Estate, New Delhi-110002.

Dy. Director (Housing)